फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाडनूं (नागौर)

वादी राम पुत्र [illegible] राम जाति जाट बनाम नरेन्द्र [illegible] पुत्र रामदेव जाति जाट
निवासी - चक गेरड़ी तहसील लाडनूं

मुकदमा राजस्व - वाद नं. 2021/276 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
. 2021	आज यह वाद वादी के अधिवक्ता ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 53 88 188 RTA में पेश किया। दर्ज हो। प्रतिवादीगण जरिए सम्मान तलब होकर पत्रावली दिनांक 20.9.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी लाडनूं	
20/9/2021	वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी मोहनराम की तरफ से वकील श्री [illegible] ने वकालतनामा पेश किया। वकील प्रतिवादीगण की तारीख का इन्तजार है। पत्रावली दिनांक 29/9/2021 को पेश हो।	
29/9/21	पत्रावली पेश हुई F.O. साहब अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली आगामी दिनांक 11/10/21 को पेश हो।	
11/10/2021	वादी के आवेदन पर पत्रावली आज पेश हुई। वकीलगण उपस्थित हुए। वादी ने आवेदन पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के बीच राजीनामा हो जाने के कारण वाद को चलाना नहीं चाहता है इसलिए वाद जरिए विड्राल खारिज किया जावे। वाद के विड्राल करने में प्रतिवादीगण को आपत्ति नहीं है। अतः एक खारिज वादी हस्ताक्षर वाद जरिए विड्राल खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर खाली दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाडनूं	25/10/21 पेरवाकार [illegible]

Scanned with CamScanner